ऑन लाईन नं.GCMS2022/97

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 16/2022

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

--(विक्रेता व मालिक)--

1. श्री **ईस्माईल खां पुत्र श्री हाजी हासम अली,**
मै0 जनता पनीर हाउस, यूआईटी रोड़, दुकान नम्बर 4, श्रीगंगानगर
निवासी :– नाथावाली चक 2 एमएल, सरपंच कॉलोनी, श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांक : 02.02.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.10.2021 को समय दोपहर बाद 2.00 बजे मै. जनता पनीर हाउस, यूआईटी रोड़, दुकान नम्बर 04, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद श्री **इस्माईल खां पुत्र श्री हासम अली** को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **पनीर** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने दुकान के अन्दर लगभग 30 किलोग्राम **पनीर** को आमजन बेचान हेतु बताया। दुकान में रखे **पनीर** में मिलावट का शक होने पर शुद्वता की जांच हेतु विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **पनीर** का नमुना विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रय हेतु उपलब्ध **पनीर 1 किलोग्राम को** विक्रेता से खरीद किया तथा मौके पर ही विक्रेता को उक्त कयशुदा **पनीर** का नगद भुगतान 260/– रूपये किया तथा केशमिमो बनवाया, जिस पर विक्रेता, गवाहान और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

भ्रतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर (राज.)

ऑन लाईन नं.GCMS2022/97

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतिया तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **ईस्माईल खां पुत्र श्री हाजी हासम अली** एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक **ईस्माईल खां पुत्र श्री हाजी हासम अली** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम **पनीर को शुद्वता की जांच के लिए लिया।** जिसको हिला–मिलाकर एकरूप करके चारों बोतलों में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर परिरक्षक ब्तौर फोरमलिन की 20–20 बूंदे प्रत्येक बोतल में डालकर ऐयरटाईट ढक्कन से बद करके प्रत्येक को लैबल तैयार का चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1268** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप नं. के–1268** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **ईस्माईल खां पुत्र श्री हाजी हासम अली** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एव शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :- एलएस / 508 / एक्ट / 2021 / 493 दिनांक 20.11.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1268 Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **ईस्माईल खां पुत्र श्री हाजी हासम अली मैसर्स** जनता पनीर हाउस, यूआईटी रोड, दुकान नम्बर 4, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का **पनीर** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) / 51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त की तरफ अधिवक्ता श्रीमती अंजली रावण जो परचापैरीव से उपस्थित है ने जवाब नोटिस पेश किया :-

1. यह कि प्रार्थी का प्रकरण वास्ते जवाब हेतु नियत पेशी पर नियत था व आगामी तारीख पेशी आज हेतु प्रार्थी अधिवक्ता को जवाब हेतु ही नियत करवाई गई थी।
2. यह कि प्रार्थी के अधिवक्ता आशीष व्यास , आज अपने पारिवारिक कारणो से शहर से बाहर होने के कारण प्रकरण में उपिस्थत नहीं हो सकते जिनके स्थान पर श्रीमती अंजली रावण को पैरवी हेतु हिदायत है, जिन्हें श्रीमान के रीडर द्वारा प्रकरण को आदेश हेतु नियत बताया है।
3. यह कि प्रकरण के आवश्यक रूप से निपटान हेतु बिना गुणावगुण के निस्तारण किया जाना नैसंर्गिक न्याय के विपरीत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रकरण में 7 दिवस की तारीख आगामी नियत की जावे ताकि प्रकरण में मेरिट पर निस्तारण हो सके।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **पनीर** का सैम्पल **K-1268** जांच रिपोर्ट क्रमांक :- एलएस/508/एक्ट/2021/493 दिनांक 20.11.2021 अनुसार खाद्य नमूना **K-1268 Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी की तरफ से पैरचा पैरवी से उपस्थित अधिवक्ता श्रीमती अंजली रावण द्वारा अपने जवाब में जो कथन उठाये गये है व मिथ्या व मनगढंत है क्योंकि अधिवक्ता अप्रार्थी को आदेशिका दिनांक 1805.2022 से 23 अवसर एवं करीब 1 वर्ष 8 माह का समय दिया जा चुका है, परन्तु अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बार-बार समय मांगा जाकर कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण का निरतारण में विलम्ब किया जा रहा है। अतः अधिवक्ता द्वारा उठाये गये मिथ्या कथनों को खारिज किया गया।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गय Sample of **"Paneer" bearing Code No and Sr. No. K-1268, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and standards(Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011.** जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **ईस्माईल खां पुत्र श्री हाजी हासम अली** एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **ईस्माईल खां पुत्र श्री हाजी हासम अली** को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000-00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

केस आईडी [illegible]

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible]

निर्णय आज दिनांक 02.02.2024 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
[illegible]